प्रकरण सं0 .....अनवान.....

**Continuation Note Sheet**

09-3-21

वादी द्वारा तरीके तकमीली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया गया कि वाद प्रस्तुत करते समय कुछ प्रारूपिक त्रुटि रह गई है जिस कारण उपरोक्त अनवान वाद पत्र विलम्ब होने की संभावना है जिस कारण प्रार्थीगण को वांछित अनुतोष से वंचित रहना पड़ेगा एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण को उपरोक्त अनवानी वाद प्रत्याहृत कर नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। वादी को रहना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O-23 -R-1 CPC, 151 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर हस्तगत वाद को वापस स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर वाद तकमील जावत दाखिल अभिलेखागार हो।

(उमेश सिन्हा)
अपर जिला जज (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

वाद-पत्र नम्बरी

वाद सं0——सन्

1- फतेहलाल पुत्र

प्रकाश चन्द

2- मिलाप पत्नि

तखोत जिला

1- सरस्वती पत्नि

तखोत जिला श्री

जिला हनुमानगढ़

2- स्टेट बाय रा

3- सलीना पुत्री स्व